


सीएसआईआर – भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान

विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)





विज्ञापन संख्या IITR/1/2025

ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा शुरू होने की तिथि : 17/02/2025; 10:00 बजे पूर्वाह्र पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 09/03/2025; 5:00 बजे अपराह्र

प्रतिभाशाली एवं परिणामोन्मुखी भारतीयों के लिए अवसर

सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला है, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। सीएसआईआर-आईआईटीआर एक बहुविषयक अनुसंधान संस्थान है जिसका आदर्श वाक्य है - पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा उद्योग को सेवा, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करता है।

उत्साही और युवा भारतीयों से किनष्ठ सिववालय सहायक के कुल 10 पदों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: -

क्र सं	पद कोड एवं पद का नाम	रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण	आवश्यक योग्यता	आयु सीमा	वेतनमान एवं कुल परिलिबधियाँ
01	पद कोड A	06 (छः)			
	कनिष्ठ सचिवालय	UR – 02	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता :		सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग
	सहायक (सामान्य)	OBC – 02	10+2 / बारहवीं या इसके	(ऑनलाइन आवेदन	के अनुसार
		SC - 01	समकक्ष	जमा करने की अंतिम	वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान
		EWS - 01	तथा	तिथि तक)	लेवल – २ सेल-१
02	पद कोड в	02 (दो)	अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट		
	कनिष्ठ सचिवालय	UR – 01	या हिन्दी में 30 शब्द प्रति	(आयु सीमा में छूट	(₹ 35600/-
	सहायक (वित्त एवं	OBC – 01	मिनट की कंप्युटर टंकण गति	नियमानुसार)	वाई शहर के लिए लागू
	लेखा)		और कार्मिक एवं प्रशिक्षण		मकान किराया भत्ता ,
			विभाग / सीएसआईआर द्वारा		वाहन ,महंगाई भत्ता भत्ता
03	पद कोड C	02 (दो)	निर्धारित विनिर्दिष्ट मानदंड के		आदि सहित न्यूनतम
	कनिष्ठ सचिवालय	UR – 02	अनुसार कंप्युटर का उपयोग		वेतनमान पर कुल
	सहायक (भंडार एवं		करने में प्रवीणता		परिलिबधियाँ)
	क्रय)				

^{* 35} शब्द प्रति मिनट (अंग्रेजी में)/30 शब्द प्रति मिनट (हिन्दी में), 10500 KDPH / 9000 KDPH के अनुरूप, यथास्थति, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजीयां दबाना (की डिप्रेशन)।

वेतन स्तर 2 पद के लिए कुल वेतन लगभग ₹35600/- प्रति माह है, जिसमें वर्ग 'Y' शहरों में लागू HRA, TA और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू DA शामिल है।

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरः एससी - अनुसूचित जाति, ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, w.p.m- शब्द प्रति मिनट, KDPH - कुंजीयां दबाना (की डिप्रेशन) प्रति घंटा।

। लाभ:

- 1. इन पदों पर सामान्य वेतन और भत्ते मिलते हैं, जैसे कि मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता आदि, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है और जैसा कि लखनऊ (वर्ग 'वाई' शहर) में तैनात परिषद के कर्मचारियों के लिए लागू है। अन्य लाभ, जैसे कि छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (सीजीएचएस/सीएसएमए नियमों के अनुसार) भी उपलब्ध हैं। कर्मचारियों को सीएसआईआर नियमों के अनुसार, उपलब्धता के अधीन, आवासीय आवास प्रदान किया जाता है।
- 2. सीएसआईआर प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं पदोन्नति (एएसआरपी) नियम, 2020 के तहत योग्य उम्मीदवारों को करियर में उन्नति के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
- 3. सभी नए कार्मिकों पर 01.01.2004 से लागू "नई पेंशन योजना" लागू होगी, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और सीएसआईआर द्वारा उनके पत्र संख्या 17/68/2001-ई. ।। दिनांक 23.12.2003 और समय-समय पर इस विषय पर जारी अन्य निर्देशों के माध्यम से अपनाया गया है। हालाँकि, अन्य सरकारी विभागों / स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चुने गए व्यक्ति जिनके पास भारत सरकार की तर्ज पर पेंशन योजना है और जो वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित हैं, वे मौजूदा पेंशन योजना यानी सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 द्वारा शासित होते रहेंगे, यदि उचित माध्यम से लागू किया जाता है।

आयु सीमा एवं छूट:

- 1. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
- 2. आयु सीमा/अनुभव/योग्यता/एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु में छूट आदि का दावा निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19.03.2025 होगी।
- 3. अनुसूचित जातियों के सदस्यों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को 3 वर्ष की छूट केवल उन मामलों में दी जाएगी जहां ऐसे पद उस विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित हैं।
- 4. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और पित से न्यायिक रूप से अलग रह चुकी महिलाओं, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष [अनुसूचित जाित के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक] है, जैसा भी मामला हो। इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:
- 5. ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (एससी उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष) उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो (क) अंधेपन या कम दृष्टि (ख) बिधर और कम सुनने वाले (ग) लोको मोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए, बौनेपन, एसिड अटैक के शिकार और मांसपेशीय दुर्विकास (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी और (ई) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहरे अंधेपन सिहत एकाधिक विकलांगता से पीड़ित हैं, इस शर्त के अधीन कि निर्णायक तिथि पर आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को आयु में रियायत इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद को विकलांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त के रूप में पहचाना गया हो। आयु सीमा में छूट ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार्य होगी जिनकी न्यूनतम 40% विकलांगता है।
- 6. भूतपूर्व सैनिकों को आयु में छूट भारत सरकार/सीएसआईआर के निर्देशों के अनुसार लागू होगी, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- 7. किसी भी प्रकार की छूट चाहने वाले सभी वैधानिक श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक आदि) के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में लागू प्रमाण पत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी, जैसा भी मामला हो (अनुलग्नक-II से XIII) जो केंद्र सरकार के तहत पदों की नियुक्ति के लिए मान्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
- 8. विभागीय उम्मीदवारों (सीएसआईआर कर्मचारियों) के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, बशर्ते उनके पास निर्धारित योग्यताएं हों।
- 9. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों में कार्यरत आवेदकों को ऐसी कोई आयु छूट नहीं दी जाएगी।

II. चयन प्रक्रिया:

- किनष्ठ सिचवालय सहायक (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के पदों के लिए:
 क) किनष्ठ सिचवालय सहायक (सामान्य/वित्त एवं लेखा/भंडार एवं क्रय) के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा की योजना:
 - लिखित प्रतियोगी परीक्षा में दो पेपर (पेपर-। और पेपर-॥) होंगे। पेपर । क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा।
 - पेपर ॥ का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पेपर । में न्यूनतम सीमा अंक (चयन सिमिति द्वारा निर्धारित) प्राप्त करेंगे।

परीक्षा का प्रकार	ओएमआर आधारित अथवा कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय परीक्षा
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्न अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषा में होंगे
परीक्षा का मानक	10+2/XII
प्रश्नों की कुल संख्या	200
आवंटित कुल समय	२ घंटे ३० मिनट

प्रश्नपत्र -। (आबंटित समय - 90 मिनट)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
मानसिक योग्यता परीक्षण*	100	200 (प्रत्येक सही उत्तर हेतु दो अंक)	इस प्रश्नपत्र में कोई नकारात्मक अंक नहीं होंगे।

^{*} मानसिक योग्यता परीक्षण इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि इसमें सामान्य बुद्धि, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तर्कशक्ति, समस्या समाधान, परिस्थितिजन्य निर्णय आदि सम्मिलित हो ।

पेपर-॥ (आबंटित समय-1 घंटा)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
सामान्य जानकारी	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक
अंग्रेज़ी भाषा	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक

मेरिट सूची:

- i) पेपर II में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- ii) कंप्यूटर टाइपिंग की गति और कंप्यूटर का उपयोग करने में दक्षता केवल अर्हक प्रकृति की होगी।
- iii) मेरिट सूची में केवल वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- iv) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों में समानता होने की स्थिति में, वर्तमान सीएसआईआर दिशानिर्देश के अनुसार कार्यप्रणाली का पालन किया जाएगा।
 - (क) लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्रों (जिन पर मेरिट तैयार करने के लिए विचार किया गया है) में कम नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
 - (ख) जन्म तिथि, जिसमें अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
 - (ग) आवश्यक डिग्री पहले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
 - (घ) वर्णानुक्रम जिसमें अभ्यर्थियों के प्रथम नाम आते हैं।

सामान्य शर्तें/निर्देश:-

- 1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 2. रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसमें बदलाव हो सकता है। विज्ञापन जरूरी नहीं कि चयन के लिए ही हो। सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में विज्ञापित रिक्तियों के सभी या आंशिक भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 3. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड/सरकारी नियामक निकायों द्वारा प्राप्त की गई होनी चाहिए तथा अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए।
- 4. सभी दस्तावेज/प्रमाणपत्र बाद में सत्यापित किए जाएंगे। इसलिए, उम्मीदवारों को इस संस्थान द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी गलत या अधूरी जानकारी उसे बिना किसी और सूचना के विचार के लिए अयोग्य बना देगी। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में उम्मीदवारी अनंतिम है और इसलिए इस विज्ञापन और सीएसआईआर के भर्ती नियमों के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर ही विचार किया जाएगा।
- 5. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो अभ्यर्थी को उसकी हिंदी/अंग्रेजी में प्रतिलिपि राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा सत्यापित करके प्रस्तुत करनी होगी।
- 6. विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार फार्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें।
- 7. एससी/एसटी/ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस, आदि प्रमाण पत्र, जैसा भी लागू हो, निर्धारित प्रारूप/प्रोफार्मा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने चाहिए।
- 8. ये पद स्थानीय हैं और सामान्यतः इनकी नियुक्ति का स्थान सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ है। हालांकि, कार्य की आवश्यकता होने पर नियुक्त व्यक्तियों को सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान में नियुक्त किया जा सकता है।
- 9. सरकारी विभाग/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत व्यक्तियों को यह दर्शाने वाला प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए कि उनके विभाग को इस पद पर उनके आवेदन करने में कोई आपित्त नहीं है तथा यिद उनका चयन हो जाता है तो नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के एक माह के भीतर आवेदक को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, जिसे अन्य दस्तावेजों के साथ उनके वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त किया जाएगा तािक इसे 'उचित माध्यम से आवेदन' के मामले के रूप में माना जा सके अथवा ऐसे अभ्यर्थियों को विधिवत भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट अपने नियोक्ता के माध्यम से इस कार्यालय को ऊपर बताए गए प्रमाण पत्र के साथ भेजवाना चाहिए।
- 10. अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जमा करने से पहले जमा करना चाहिए। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा मूल दस्तावेजों में दी गई जानकारी में कोई भी विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 11. यदि अभ्यर्थी सर्वर की खराबी/किसी तकनीकी खराबी के कारण अंतिम समय पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें। संस्थान का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 12. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट कर लें कि उनके पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पदों के लिए निर्धारित विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यताएं और अन्य शर्तें हैं। पात्रता पर सलाह मांगने वाली कोई अंतरिम जांच पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित आवश्यक योग्यताएं/अनुभव न्यूनतम हैं, और चयन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। इसलिए, केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव रखने से उम्मीदवार पद के लिए चयन के हकदार नहीं हैं।
- 13. केवल न्यूनतम निर्धारित योग्यताएं पूरी करने से उम्मीदवार को लिखित परीक्षा या प्रवीणता/टाइपिंग टेस्ट या नियुक्ति के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पहले या बाद में सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- 14. चयनित उम्मीदवार नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक निर्दिष्ट अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अविध को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद, उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार स्थायीकरण के लिए विचार किया जाएगा।
- 15. यह जानकारी के लिए है कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई घोषणा या दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है या यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और/या उसे सेवा में शामिल होने के बाद सेवा से हटाया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

- 16. अनिवार्य योग्यताओं में समकक्ष खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो उम्मीदवार को इस संबंध में एक आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकरण (संख्या और तारीख के साथ) का उल्लेख हो जिसके तहत उसे ऐसा माना गया है अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय विषय पर सीएसआईआर के दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया जाएगा।
- 17. जहां किसी भर्ती वर्ष में ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित कोई रिक्ति ईडब्ल्यूएस से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सकती है, उस विशेष भर्ती वर्ष के लिए ऐसी रिक्तियों को बैकलॉग के रूप में अगले भर्ती वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पद अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा।
- 18. भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- 19. किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना, पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।
- 20. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग/प्रवीणता परीक्षण और लिखित परीक्षा के लिए उपलब्ध प्रावधान भारत सरकार/सीएसआईआर के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगे।
- 21. टाइपिंग टेस्ट/प्रवीणता परीक्षा/लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- 22. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका और परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी मामलों में निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।
- 23. कम्प्यूटर टाइपिंग टेस्ट में दक्षता के लिए एक बार चयनित माध्यम में परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 24. लिखित परीक्षा और प्रवीणता परीक्षण केंद्र लखनऊ में होगा।
- 25. इस परीक्षा के संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को समय-समय पर सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ की वेबसाइट (https://www.iitr.res.in) देखना आवश्यक है।

III. आवेदन कैसे करें:

- 1. योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट (https://www.iitr.res.in) पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का कोई अन्य तरीका मान्य नहीं होगा।
- 2. उम्मीदवारों को उपर्युक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले (https://www.iitr.res.in) पर दिए गए निर्देश पृष्ठ को अवश्य पढ़ना चाहिए।
- उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन शुल्क (प्रत्येक पोस्ट-कोड के लिए अलग-अलग) के रूप में ₹ 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/मिहला/सीएसआईआर कर्मचारी / भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। डीडी, चालान, पोस्टल ऑर्डर आदि जैसे भुगतान के किसी अन्य तरीके की अनुमित नहीं है।
- 4. भुगतान विवरण (रसीद संख्या/चालान संख्या) को जमा करने से पहले ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट स्थान पर उल्लेख करना आवश्यक है।
- 5. अभ्यर्थी को अपना फोटो (500 केबी से अधिक नहीं) और हस्ताक्षर (100 केबी से अधिक नहीं) भी संबंधित निर्दिष्ट स्थानों पर अपलोड करना आवश्यक है।
- 6. विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार फार्मले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें।
- 7. सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के आवेदनों पर केवल तभी विचार किया जाएगा, जब आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया हो या इस संबंध में विभाग द्वारा जारी एनओसी अपलोड की गई हो।

IV. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ (एकल पीडीएफ के रूप में) क्रम में (जो भी लागू हो)

- क) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जिसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत भारत में जन्मे बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया है (केवल अगर माध्यमिक या विरष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख नहीं है)
- ख) 10वीं/एसएससी मार्कशीट
- ग) 12वीं/एचएससी मार्कशीट
- घ) अन्य आवश्यक शिक्षा/योग्यता प्रमाण पत्र/डिप्लोमा मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो।
- ङ) वर्तमान नियोक्ता से एनओसी (यदि लागू हो)
- च) अन्य (यदि कोई हो)

अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज़ (जहां लागू हो)

- छ) फीस की रसीद (यदि लागू हो)
- ज) जाति श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- झ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज बुक / पीपीओ (यदि लागू हो)
- ञ) PwBD प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- ट) विभागीय अभ्यर्थियों के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र

इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी जैसे तिथि, समय और लिखित परीक्षा/टाइपिंग टेस्ट या अन्य, कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र या पदों की संख्या में कोई बदलाव/पदों का निरस्तीकरण आदि केवल सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ की वेबसाइट (https://www.iitr.res.in) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से इस पर नज़र रखें।

किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना, पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

किसी भी अंतरिम जांच या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधोहस्ताक्षरी/-प्रशासनिक अधिकारी

नोट : किसी भी अस्पष्टता/द्वयर्थकता/दुविधा की स्थिति में इस विज्ञापन का अंग्रेजी में दिया गया मूलपाठ ही अधिकृत पाठ माना जाएगा।

Index for Annexures'

Sl. No.	Annexure Number	Particulars of the Annexures'	Page No.
1	Annexure-I	The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for Appointment to posts under the Government of India	8-9
2	Annexure-II	Form of certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to Posts under the government of India	10
3	Annexure-III	Form of declaration to be submitted by the OBC – NCL candidate (in addition to the community certificate)	11
4	Annexure-IV	Income & Asset Certificate to be produced by Economically Weaker Sections	12
5	Annexure-V	Form-V Certificate of Disability	13
6	Annexure-VI	Form-VI Certificate of Disability	14-15
7	Annexure-VII	Form-VII Certificate of Disability	16-17
8	Annexure-VIII	Certificate for a person with a specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. Persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.	18
9	Annexure-IX	Letter of Undertaking by the person with a specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. Persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.	19
10	Annexure-X	Letter of Undertaking for Using Own Scribe	20
11	Annexure-XI	Certificate regarding physical limitation of an Examinee to Write	21
12	Annexure-XII	Certificate to be produced by serving / retired / released armed forces personnel for availing the age concession for posts filled by direct recruitment	22-24

Annexure-I

The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India
This is to certify that Shri / Shrimati / Kumari* Son/daughter* of of village/town* in
District/Division*belongs to the State/UnionTerritory*belongs to thebelongs caste/tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under: -
@ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
@ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
@ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951
@ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951
[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, i 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act. 1976., the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act. 1987.]
 @ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 @ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976
@ The Constitution (Dadar and Nagar Have ii) Schedule Castes Order, 1962 @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967
@ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 @ The Constitution (Goa, Daman and Dill) Scheduled Tribes Order, 1968 @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970
@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978 @ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989 @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990
@ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991
@ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act. 1991
@ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002 @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002
@ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002 @ The Constitution
(Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002
@ The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007
%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union
Territory Administration to another,
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribe certificate issued to Shri / Shrimati*
of village/town*/Territory** in District/Division* of the State/Union Territory*who

belong to the caste/ tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/ Union Territory*
issued by the dated dated
%3. Shri/ Shrimati/ Kumari*and/ or* his/ her* family ordinarily resides in village/town* of
01
Signature
**Designation
(With Seal of Office)
State/UnionTerritory*
Place:
Date:
* Please delete the words which are not applicable.
@ Please quote specific Presidential Order.
% Delete the paragraph which is not applicable
NOTE: The term "ordinarily reside (s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act. 1950.
**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate
 (i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate). (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate. (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)
Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER

Annexure -II

Form of certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari sor	n / daughter of
village/town In District/Division belongs to the	community which is
recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of	Social Justice and Empowerment's
Resolution No* and/or hi	is family ordinarily reside(s) in
the District/Division of the	State/Union Territory. This is also
to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) me	ntioned in Column 3 of the Schedule
to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/2	22/93- Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM
No. 36033/3/2004- Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt	. (Res) dated 14th October, 2008 and
O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013**	
	Signature
	Designation\$
Dated:	
Seal:	
	

- *- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.
- **- As amended from time to time.
- \$ List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate
- (i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

Note: - The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

ANNEXURE - III

I
limits as on last date of application.
Signature
Full Name
Address
Place:
Date:

Form of declaration to be submitted by the OBC – NCL candidate (in addition to the community certificate)

Government of(Name & Address of the Authority Issuing the Certificate)

Income & Asset Certificate to be produced by Economically Weaker Sections

Valid for the year
This is to certify that Shri / Smt. / Kumari
 5 acres of agricultural land and above; Residential flat of 1000 sq. ft. and above Residential plot of 100 SQ. Yards and above in notified municipalities; Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.
2. Shri /Smt. / Kumari belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).
Signature with seal of Office

Recent passport size attested photograph of the applicant

***Note 3: The property held by a "Family' in different locations or different places / cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

^{*}Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

^{**}Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his / her parents and siblings below the age of 18 years as also his / her spouse and children below the age of 18 years

Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in cases of blindness) [See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

	to certify that I have carefu		Smt / Kumari	Sor	n / Wife /
[er of Shri	Permanent resident	• •	M/YY) Age years, male	e / female No
Ward		Post Of		District	State
(B)	The diagnosis in his / her cas	e is			
	He / she has				
	Nature of Document	Date of Issue	Details of A	Authority Issuing Certificate	
			(Sign)	ature and seel of Authorized C	ignatory of

(Signature and seal of Authorised Signatory of Notified Medical Authority)

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form-VI

Certificate of Disability (In cases of Multiple Disabilities)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

SI. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)		
(A) He/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guideline (
This is to certify that we have carefully examined Shri /Smt. / Kumari						
Certific	ate No	Da	te:			

SI. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	€		
10.	Hard of Hearing	€		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			

ental illness			
nronicNeurological Conditions			
ultiple sclerosis			
arkinson's disease			
aemophilia			
nalassemia			
ckle Cell disease			
ul arl ae	kinson's disease emophilia lassemia	kinson's disease emophilia lassemia	Itiple sclerosis kinson's disease emophilia lassemia

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (
number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:
In figures percent

In Words percentage

- 1. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
- 2. Reassessment of disability is:
 - i) not necessary OR
 - ii) is recommended/ after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD)/(MM)/(YY)

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye /both/eyes

€ - eg. Left/Right/both ears


3. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of Authority Issuing Certificate

4. Signature and Seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/Thumb impression of the person in whose favour Certificate of Disability is issued.



Form-VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
[See rule 18(1)]

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

SI. No.	Disability	Affected Part Of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)
is show	n against the relevant disability in the table	e below:		
has bee	n evaluated as per guidelines (number a	nd date of issue of the g	uidelines to be specified) and
he / she	e is a case of Di	isability. His/her e	extent of percentage ph	ysical impairment / disability
Office	District State	, who	se photograph is affixed	l above, and am satisfied that
	permanent resident of House	e No	Ward/Village/S	Street Post
	Date of Birth (DDD/MM/YY)) Age	years, male / fe	male Registration No.
This is to	o certify that I have carefully examined Shi	ri / Smt / Kum		son / Wife / daughter of Shri
Certifica	ate No	Da	te:	

SI. No.	Disability	Affected Part Of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)
1.	Locomotor disability			
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(please strike out the disabilities which are not applicable).

Nature of Document	Date of Issue	Details of Authority Issuing Certificate

(Authorised Signatory of Notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned
(Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a Medical Authority
who is not a Government Servant (with Seal))

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Note: In case this Certificate is issued by a Medical Authority who is not a Government Servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Annexure-VIII

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.					
This is to certify that, we have examined Mr/Ms/Mrs (name of the candidate), S/o /D/o, a resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged					
years, a person with					
	te uses aids and assistive device al for the candidate to appear a	·	_	•	
	ued only for the purpose of apnstitutions and is valid uptoe Medical Authority)	-	•	_	
			Signatur	e of Medical Authority	
(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	
Orthopedic / PMR specialist	Clinical Psychologist / Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist/ Special Educator	Neurologist(if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by Chairperson (if any)	
(Signature & Name)					
Chief Medical Office	r/Civil Surgeon/Chief District	Medical Officer	Chairperson		
		Name of Gove	rnment Hospital/Health	Care Centre with Seal	
Place:					
Date:					

<u>Annexure – IX</u>

Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.
I
1. I do hereby state that
2. I do herby undertake that his qualification is
(Signature of the candidate) (Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)
Place:
Date:

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD

Annexure-X

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I (name of	the disability) appearing for the
(name of the examination) bearing Roll	No at
(name of the centre) in the District,	(name of the
State/UT). My qualification is	
I do hereby state that (name of the scribe) will provide	e the service of scribe/reader/lab
assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.	
I do hereby undertake that his/her qualification is	• •
her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification	n, I shall forfeit my right to the post
and claims relating thereto.	
(Signatu	ure of the candidate with Disability)
Place:	,,
Date:	

Annexure-XI

Certificate Regarding Physical Limitation of an Examinee to Write

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs
Signature Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Medical Superintendent of a Government Health care Institution Name & Designation Name of Government Hospital / Health Care Centre with Seal
Place:
Date:
Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic specialist / PMR).

Certificate to be Produced by Serving/Retired/Released	Armed Forces	Personnel for	availing the Age	Concession for
Posts Filled by Direct Recruitment				

A. Form of Certificate applicable for Released/Retired Personnel
It is certified that Rank
 2. He has been released from military services: % a) on completion of assignment otherwise than i) by way of dismissal, or ii) by way of discharge on account of misconduct or inefficiency, or iii) on his own request, but without earning his pension, or iv) he has not been transferred to the reserve pending such release
% b) on account of physical disability attributable to Military Service.
% c) on invalidment after putting in at least five years of Military service
3. He is covered under the definition of Ex-Serviceman (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules. 1979 as amended from time to time
Place: Date:
Signature, Name and Designation of the Competent Authority** SEAL
%. Delete the paragraph which is not applicable.

B. Form of Certificate for Serving Personnel (Applicable for serving personnel who are due to be released within one veal')					
It is certified that No Rank					
2. He is due for release retirement on completion of his specific period of assignment on					
3. No disciplinary case is pending against him.					
Place: Date:					
Signature, Name and Designation of the Competent Authority*** SEAL					
Candidate (Serving Personnel) furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking:					
Undertaking to be given by serving Armed Force personnel who are due to be released within one year					
I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.					
Place: Date:					
Signature and Name of Candidate					

C. Form of Certificate applicable on extended assignment	for Serving ECOs/SSCOs v	who have already comp	leted their initial assignment and are
It is certified that No	Rank	Name	whose date of birth is
serving in the Arn			
2. He has already completed his till	s initial assignment of fi	ve years on	and is on extended assignment
3. There is no objection to his app from the date of receipt of offer of		nt and he will be release	d on three months notice on selection
Place:			
Date:			
		Si	gnature, Name and Designation of the Competent Authority***
			SEAL